4.2 मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य अंश

कराधान पंजी की आवधिक अन्तराल पर समीक्षा करने के तंत्र के अभाव के कारण संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन मालिकों द्वारा करों के भुगतान नहीं किए जाने का पता नहीं लगा सके और परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित 40.93 करोड़ रुपये की माँग सृजित नहीं की गई।

(कंडिका 4.2.7)

मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए तंत्र के अभाव के कारण परिवहन वाहनों की योग्यता प्रमाण–पत्र के अनियमित निर्गमन/नवीकरण के मामलों का पता उच्च प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया गया।

(कंडिका 4.2.8)

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा नीलामवाद पदाधिकारियों को राजस्व के बकायों के मामलों को भेजने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 38.41 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली हेतु नीलामवाद दायर करने की पहल नहीं की गई।

(कंडिका 4.2.12.2)

विभाग के पास इसके दक्षतापूर्ण कार्य हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए संदर्भ बिन्दु के रूप में मदद करने हेतु कोई मैनुअल नहीं था।

(कंडिका 4.2.14.2)

उच्च प्राधिकारियों के पास विश्वसनीय आँकड़ों/सूचनाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण के अभाव के कारण राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर पर दिये गए विभिन्न आँकड़ों में विसंगतियाँ थी। राजस्व का प्रभाव काफी अधिक था।

(कंडिका 4.2.14.3)

विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बगैर वाहनों के अभ्यर्पण स्वीकार किए गए थे, जिसके फलस्वरूप 2.53 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.2.18)

अद्यतन कर की वसूली किए बगैर वाहन के स्वामित्व के हस्तानांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण–पत्रों के निर्गमन के फलस्वरूप वर्ष 2003–08 के दौरान 1.31 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 4.2.20)

4.2.1 प्रस्तावना

राज्य में परिवहन विभाग का क्रिया–कलाप तथा कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमावली, 1994 के द्वारा संचालित होता है। परिवहन विभाग के मुख्य कार्य मोटर वाहनों का निबंधन, मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राईविंग लाइसेंस एवं रोड परमिट प्रदान करना तथा राज्य में परिवहन प्रणाली का अनुश्रवण करना है। इस विभाग में राजस्व के मुख्य स्रोत मोटर वाहनों पर कर/अतिरिक्त कर एवं निबंधन,

ड्राईविंग लाइसेंस, रोड परमिट इत्यादि हेतु शुल्क है, इसके अलावे चूक होने पर जुर्माना और अर्थदण्ड लगाना है।

बिहार राज्य में वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लिए 'मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण' की लेखापरीक्षा द्वारा की गई समीक्षा से अनेक प्रणालीय और अनुपालन त्रुटियों का पता चला, जिनकी चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है।

4.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

सर्वोच्च स्तर पर, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार विभाग के प्रधान होते हैं और अधिनियम, नियम तथा सभी नीतिगत विषयों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, उनके कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिनपर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। इन्हें अपने कार्यों के निष्पादन में मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि क्या :

- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान तथा विभागीय अनुदेश राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे;
- अधिनियमों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था;
- मोटर वाहन करों, शुल्कों एवं दण्डों को उचित ढंग से निर्धारित, संग्रहित और जमा किए गए थे; एवं
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी तथा राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु पर्याप्त तथा प्रभावी थी।

4.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

नवम्बर 2008 से फरवरी 2009 तथा मई 2009 से जुलाई 2009 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, 38 जिला परिवहन पदाधिकारियों में से 10[72] एवं नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में से दो[73] के वर्ष 2003--08 से संबधित अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से समीक्षा की गई[74]। समीक्षा में वर्ष 2008--09 अथवा उसके पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए अनुपालन लेखापरीक्षा से उदघटित समान प्रकृति के मामले भी समाविष्ट है। इस समीक्षा में इन मामलों का भी समुचित उल्लेख किया गया है।

इस समीक्षा कार्य के लिए इकाइयों का चयन, प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि एवं प्रतिस्थापन सहित सरल रैन्डम प्रतिचयन विधि के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन पर आधारित था। सांख्यिकीय प्रतिचयन तकनीक का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

---

72 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया।

73 छपरा एवं पटना।

74 मार्च – अप्रैल 2009 की अवधि के दौरान राज्य में आम चुनाव एवं उप–चुनाव होने के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी।

4.2.5 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में परिवहन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। राज्य परिवहन आयुक्त के साथ नवम्बर 2008 में एक आरम्भिक सम्मेलन (इन्ट्री कन्फ्रेन्स) आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य पद्धति पर चर्चा की गई। समीक्षा के परिणामों को अगस्त 2009 में विभाग एवं सरकार को उनके मंतव्य हेतु अग्रसारित किए गए थे। 20 नवम्बर 2009 को एक अंतिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फ्रेन्स) आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों तथा अनुशंसाओं पर विचार–विमर्श किया गया। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने बैठक में भाग लिया।

मामलों को इंगित किए जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा के सभी अवलोकनों को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2009 में कहा कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन माँगे गए हैं। आगे की प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (जनवरी 2010)। सरकार के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

बिहार बजट प्रक्रिया में प्रावधान है कि राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में वर्ष के अंदर वसूली जाने वाली अनुमानित राशि दर्शायी जाए। राजस्व का आकलन करते समय विगत वर्षों के बकायों और वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक माँग के आधार पर गणना की जानी चाहिए। नियंत्रण पदाधिकरी को संबंधित क्षेत्र पदाधिकारियों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जाँच कर इसे वित्त विभाग को देना है।

बिहार कोषागार संहिता के साथ पठित बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण पदाधिकारी को समय पर वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों और विभागीय आँकड़ों के बीच मिलान को सुनिश्चित करना है। विगत पाँच वर्षों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक संग्रहण, जो विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है और जो वित्त लेखे में दर्शाए गए हैं, निम्न तालिका में संसूचित किए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	राजस्व संग्रह		विभागीय आँकड़ों एवं वित्त लेखे की प्राप्तियों में विभिन्नता (4–3)	बजट अनुमान एवं प्राप्तियों (वित्त लेखे) में विभिन्नता (प्रतिशत) (2–3)
		वित्त लेखे के अनुसार	विभाग के अनुसार		
1	2	3	4	5	6
2003–04	275.00	209.50	217.81	8.31	(–) 65.50 (23.8)
2004–05	250.00	212.78	257.21	44.43	(–) 37.22 (14.9)
2005–06	310.00	302.44	308.47	6.03	(–) 7.56 (2.4)
2006–07	350.00	181.38	202.14	20.76	(–) 168.62 (48.2)
2007–08	375.00	273.21	245.86	27.35	(–) 101.79 (27.1)

इस प्रकार, वर्ष 2003–08 के दौरान राजस्व का संग्रहण, बजट आकलन की अपेक्षा 14.9 प्रतिशत से 48.2 प्रतिशत तक निम्नतर था, सिवाय वर्ष 2005–06 के, जहाँ भिन्नता मामूली (2.4 प्रतिशत) थी। वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान भारी गिरावट का मुख्य कारण परिवहन वाहनों पर पथ–कर की घटी दरें थीं। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखे

में दर्शाए गए प्राप्तियों और विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गए आँकड़ों में 52.18 करोड़ रुपये का अंतर था। यह संसूचित करता है कि वर्त्तमान नियमों के तहत अपेक्षित आँकड़ों का समय पर मिलान नहीं किया गया था, जो त्रुटिपूर्ण लेखांकन और प्रतिवेदन तंत्र की ओर भी इंगित करता है।

प्रणालीय त्रुटियाँ

4.2.7 माँग का सृजन एवं राजस्व संग्रहण

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी वाहनों सहित मोटर वाहनों पर कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही के शुरू होने से 15 दिनों के भीतर संबंधित निबंधन प्राधिकारी को किया जाना है। हालाँकि, यदि निबंधन प्राधिकारी संतुष्ट हों कि वाहन मालिक द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हैं, तो वे वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकते हैं। पुनः, विभाग ने मई 2005 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को एक अनुदेश जारी किया कि जिन ट्रेलरों के मालिकों ने परिवहन वाहनों के रूप में ट्रेलरों का निबंधन कराया है, वे अपने वाहनों को पूर्ण रूप से कृषि प्रयोजन हेतु निबंधन का विकल्प दे सकते हैं और वे एक मुश्त कर का भुगतान कर सकते हैं। नोटिस के बावजूद कर का भुगतान नहीं करने के मामले में मार्च 1999 और जनवरी 2001 के बीच निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ की जानी है। 90 दिनों के बाद भी कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर की दोगुनी राशि अर्थदण्ड के रूप में लगाया जाना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजियों की आवधिक समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया है और माँग पत्र निर्गत करने के लिए भी कोई समय–सीमा विहित नहीं किया गया है।

35 जिला परिवहन कार्यालयों[75] में यह पाया गया कि 3,057 परिवहन वाहनों (64 सरकारी वाहनों एवं 1,661 ट्रेलरों सहित) के मालिकों ने जनवरी 1999 एवं दिसम्बर 2007 के बीच की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं किया था। कराधान पंजियों की आवधिक समीक्षा के अभाव में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका और माँग का सृजन नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2003 से जून 2008 तक की अवधि के लिए संगणित अर्थदण्ड सहित 40.93 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

सरकार, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आवधिक अंतरालों पर कराधान पंजियों की समीक्षा हेतु एक प्रणाली तथा कर के भुगतान में चूक के मामले में माँग पत्र निर्गत करने हेतु निश्चित समय–सीमा विहित करने पर, विचार कर सकती है।

4.2.8 मोटर वाहन निरीक्षकों की कार्य प्रणाली

बिहार मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान करने/नवीकरण हेतु परिवहन वाहनों की जाँच करते समय मोटर वाहन निरीक्षक 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्ची' फॉर्म भरेंगे और निरीक्षित वाहन की चेसिस संख्या का स्पष्ट पेंसिल–छाप 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्ची' पर लेंगे।

---

75 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा); अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा अप्रैल 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के अनुसार, मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान/नवीकरण करने से मना कर दिया गया है, जिनके लिए करों का भुगतान नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय[76], पटना के निर्णय के अनुसार चूँकि टैक्स टोकन कर–भुगतान करने का एक साक्ष्य है, योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा अपने उच्च प्राधिकारियों को दिये जाने के लिए कोई रिटर्न/प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किया है, जिसके आधार पर वे मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य निष्पादन का अनुश्रवण और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गयीं।

4.2.8.1 परिवहन वाहनों का योग्यता प्रमाण–पत्र निर्गत/नवीकृत किया जाना

चार जिला परिवहन कार्यालयों[77] में परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण–पत्र पंजियों एवं अन्य तत्संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि 9,591 परिवहन वाहनों के मामले में मालिकों ने वर्ष 2007–08 के दौरान अपने परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन दिया था। इन मामलों में वाहनों के अभिलेखों के साथ 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्चियाँ' नहीं पाई गईं। 'मोटर वाहन निरीक्षण पर्चियों' के अभाव में वाहनों की चेसिस संख्या का पेंसिल–छाप, मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा लिए जाने तथा योग्यता प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व वाहनों की पथ पात्रता संबंधी उचित जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। **यह अत्यंत अनियमित थी क्योंकि बगैर उचित निरीक्षण के इन वाहनों का परिचालन, लोगों के जान–माल को क्षति पहुँचाने के जोखिम से भरा था।**

4.2.8.2 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण–पत्र का अनियमित निर्गमन

आठ जिला परिवहन कार्यालयों[78] में कराधान पंजियों के साथ परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण–पत्र पंजियों की तिर्यक जाँच से यह संसूचित हुआ कि 178 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिश्चित किए बगैर, योग्यता प्रमाण–पत्र निर्गत किए गए थे। इस चूक के कारण न केवल नियमों एवं राज्य परिवहन आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन हुआ, बल्कि जुलाई 2003 एवं जून 2008 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 6.75 करोड़ रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

4.2.8.3 अभ्यर्पित वाहनों का परिचालन

जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में परिवहन वाहनों के योग्यता प्रमाण–पत्र/अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य अभिलेखों से यह पता चला कि अप्रैल 2007 से मार्च 2008 के दौरान 18 वाहनों को मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ, जबकि इन वाहनों को अभ्यर्पण पंजी में अभ्यर्पित दर्शाया गया था। इस तरह, यह स्पष्ट था कि इन मामलों में मोटर वाहन निरीक्षक ने अद्यतन कर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अलावे, इन वाहनों को जारी योग्यता प्रमाण–पत्र यह सत्यापित करता है कि वाहनों को मोटर वाहन निरीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार वचन–पत्र में दर्शाए गए पार्किंग स्थल से वाहनों को हटाया गया

---

76 पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार राज्य, 1993 (1) पी0 एल0 जे0 आर0 211.

77 बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया।

78 बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा); बक्सर एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

था। अतः वाहन मालिक 82.17 लाख रुपये के कर एवं अर्थदण्ड के देनदार थे। उन वाहनों के अभिलेखों को जिनमें अभ्यर्पित निबंधन प्रमाण–पत्र एवं टैक्स–टोकन इत्यादि रखे गए थे, लगातार स्मारित किए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.2.8.4 गैर–परिवहन वाहन को परिवहन वाहन के रूप में परिचालन का प्राधिकार

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि संबंधी ट्रैक्टर–ट्रेलर गैर–परिवहन वाहन होते हैं, जिनका निबंधन 3,000 रुपये अथवा 5,000 रुपये, जैसा मामला हो, एक मुश्त कर का भुगतान करने के बाद किया जाता है।

जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय एवं पूर्णिया के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मोटर वाहन निरीक्षकों ने अनियमित रूप से 77 ट्रैक्टर–ट्रेलरों को योग्यता प्रमाण–पत्र निर्गत किया था जो कृषि संबंधी ट्रैक्टर–ट्रेलर के रूप में एक मुश्त कर का भुगतान करने पर निबंधित किए गए थे।

परिवहन वाहनों पर लागू योग्यता प्रमाण–पत्र, कृषि संबंधी ट्रैक्टर–ट्रेलरों को वार्षिक कर के भुगतान के बगैर जारी किया जाना, न केवल अनियमित था बल्कि परिवहन वाहनों पर लागू वार्षिक कर के भुगतान के बगैर इन वाहनों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अवैध रूप से उपयोग में लाने के जोखिम से भी भरा था। कर का भुगतान नहीं किया गया था और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा योग्यता प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले इसका सत्यापन भी नहीं किया गया था।

सरकार, मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्य प्रणाली का अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर, विचार कर सकती है। ऐसे वाहनों के अवैध वाणिज्यिक उपयोग का पता लगाने के लिए प्रवर्तन–स्कंध (इनफोर्समेंट विंग) द्वारा लगातार जाँच करायी जानी चाहिए।

4.2.9 कर–छूट प्रदान करने की प्रणाली

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, जहाँ करारोपण पदाधिकारी मोटर वाहन के मालिक के आवेदन–पत्र के साथ लगे वचन–पत्र की जाँच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मोटर वाहन एक कैलेंडर माह से अधिक अवधि तक लगातार उपयोग में नहीं रहा है, तो वह कर के भुगतान से छूट तथा कर के बकाये राशि को, अधिकतम 4,000 रुपये तक, बट्टे खाते में डाल कर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार को सूचित कर सकता है और जहाँ बकाये की राशि 4,000 रुपये से अधिक है, तब वह इस मामले को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेज सकता है।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि **ऐसे मामलों के निपटान और प्रेषण के लिए कोई समय–सीमा विहित नहीं की गई** जिसके फलस्वरुप राजस्व अवरूद्ध रहा जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

4.2.9.1 नौ जिला परिवहन कार्यालयों[79] में यह देखा गया कि 69 वाहनों के अभ्यर्पण हेतु कर के भुगतान से छूट के मामलों को दिसम्बर 2002 एवं नवम्बर 2006 के बीच राज्य परिवहन आयुक्त / उच्च प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर उच्च प्राधिकारियों के पास

[79] भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, एवं पटना (समीक्षा); गोपालगंज, समस्तीपुर एवं सीवान (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

अग्रसारित किया गया था। इन मामलों में अंतर्निहित 40.40 लाख रुपये के राजस्व जनवरी 2010 तक निर्णय के लिए लम्बित थे।

मामले को इंगित किए जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2009) कि 44 मामले निपटाए गए हैं। हालाँकि, संवीक्षा से पता चला कि 69 मामलों में से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सिर्फ तीन मामले इनमें शामिल थे, जिनमें एक मामले में मात्र 35,803 रुपये की वसूली की गई और दो अन्य मामलों में 40.40 लाख रुपये में से 27,197 रुपए की छूट दी गई है। आगे शेष मामलों में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

4.2.9.2 जिला परिवहन कार्यालय, गया में यह पाया गया कि 67 वाहनों को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सितम्बर 2002 एवं सितम्बर 2005 के बीच उनके अभ्यर्पण की स्वीकृति के बाद छोड़ दिया गया था। यद्यपि इन मामलों में अंतर्निहित 8.96 लाख रुपये की छूट प्राप्त करने के लिए उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति वांछित थी, परन्तु जिला परिवहन पदाधिकारी ने छूट देने के लिए इन मामलों को सक्षम प्राधिकारियों के पास नहीं भेजा। अभ्यर्पण अवधि समाप्त हो जाने के बाद वाहनों को छोड़ भी दिया गया था। कर–छूट को अनियमित रूप से प्रदान करना जोखिम भरा है तथा उच्च पदाधिकारियों की शक्ति को हड़पने जैसा है।

सरकार, मामले को अग्रसारित करने और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छूट देने के लिए एक निश्चित समय–सीमा विहित करने पर, विचार कर सकती है।

4.2.10 माल वाहक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 81 के प्रावधानों के अनुसार अस्थाई अथवा विशेष परमिट के अलावे कोई भी परमिट पाँच वर्षों की अवधि अथवा वाहन की आयु अधिकतम पंद्रह वर्ष, जो पहले हो, के लिए निर्गत किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट योजना[80] के प्रावधानों के अनुसार वाहन मालिक को एक बार में एक वर्ष के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु 500 रुपये के शुल्क[81] के साथ निर्धारित कम्पोजिट शुल्क[82], उस राज्य के लिए जहाँ वाहन को चलाया जाना है, भुगतान करना होगा। यदि कम्पोजिट शुल्क का भुगतान देय तिथि अर्थात् प्राधिकार के समापन से 15 दिन पहले नहीं किया जाता है, तो 100 रुपये प्रतिमाह की दर से अथवा उसके हिस्से पर अर्थदण्ड देना होगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि राष्ट्रीय परमिट धारकों द्वारा प्राधिकार एवं कम्पोजिट शुल्कों का भुगतान नहीं किए जाने का पता लगाने हेतु विभाग में राष्ट्रीय परमिट पंजी की आवधिक समीक्षा की कोई प्रणाली नहीं है।

राज्य परिवहन प्राधिकार के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 105 मामलों में राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत माल वाहक वाहनों को चलाने के लिए अनुवर्ती प्राधिकार, जनवरी 2005 एवं फरवरी 2009 के बीच विभिन्न अवधियों में न तो नवीकृत की गई थी और न ही परमिटों को अभ्यर्पित किया गया था। इसके फलस्वरूप 1.05 लाख रुपये के

---

80 माल वाहक वाहनों को पूरे भारत क्षेत्र अथवा इसके समीपस्थ राज्यों, जो चार से कम न हो (बिहार के लिए तीन), में चलाने हेतु परमिट दिया जाता है।

81 वार्षिक शुल्क, अधिकतम एक हजार रुपये, जो एक राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन को परमिट के द्वारा दूसरे राज्यों में, करों अथवा शुल्कों के भुगतान करने के बाद, यदि कोई हो, उपयोग हेतु संबंधित राज्यों द्वारा लगाया जाता है।

82 राष्ट्रीय परमिट योजना के तहत वाहनों को वार्षिक आधार पर चलाने हेतु कर एवं अतिरिक्त कर के बदले संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि।

प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई। इसके अलावे, अन्य राज्यों से संबंधित कम्पोजिट शुल्क और निर्धारित दर पर अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

4.2.11 अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट का निपटान

राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से प्राप्त होने वाले कम्पोजिट शुल्क से संबंधित बैंक ड्राफ्ट को विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना आवश्यक है। बैंक ड्राफ्ट के निपटान की निगरानी एक पंजी के माध्यम से की जानी है। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के मार्च 1996 एवं मार्च 2005 के अनुदेशों के अनुसार अप्रैल से फरवरी के दौरान प्राधिकृत बैंक में जमा की गई राशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाना है कि उस माह की सभी प्राप्तियाँ अगले माह के प्रथम सप्ताह तक हस्तांतरित हो जाए तथा मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तान्तरित कर दिया जाना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा की गयी कुल प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी खाते में हस्तांतरित हो जाए। बैंक द्वारा सरकारी खाते में जमा राशि को हस्तांतरित करने में विफल रहने पर राज्य परिवहन आयुक्त को शेष राशि के विरूद्ध बैंक को चेक निर्गत करना है।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण उचित ढंग से नहीं किया गया था। पंजी को आवधिक अन्तराल पर अद्यतन भी नहीं किया गया था और उच्च प्राधिकारी के पास सत्यापन एवं अनुश्रवण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण राज्य परिवहन आयुक्त राजस्व के विलम्बित प्रेषण/बैंक ड्राफ्ट को पुनर्वैधीकरण नहीं किए जाने से अनभिज्ञ रह गए, जैसा कि आगे की कंडिकाओं में विवर्णित है।

4.2.11.1 संग्रहित राजस्व का विलम्बित प्रेषण

16 में से तीन[83] राजस्व संग्रह करने वाले बैंकों के बैंक विवरणियों की नमूना जाँच के क्रम में यह पाया गया कि बैंकों ने सरकारी खाते में जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना को राजस्व का हस्तांतरण तीन से 724 दिनों के विलम्ब से किया था।

4.2.11.2 कालातीत बैंक ड्राफ्ट का पुनर्वैधीकरण

राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2008 की अवधि के लिए अन्य राज्यों से प्राप्त 1.76 करोड़ रुपये के 7,776 बैंक ड्राफ्ट, विभिन्न प्राधिकृत बैंकों को भेजा गया था। हालाँकि ये बैंक ड्राफ्ट बैंकों द्वारा लौटा दिये गए क्योंकि कालातीत हो गए थे। **11 वर्षों तक के लम्बे अवधियों से संबंधित ड्राफ्ट को भुनाया नहीं जाना विभाग द्वारा अज्ञात रह गया।** इन सभी ड्राफ्ट को पुनः बैंक स्तर पर पुनर्वैधीकरण हेतु इंडियन बैंक को भेजा गया। हालाँकि, ये बैंक ड्राफ्ट पुनर्वैधीकरण हेतु लेखापरीक्षा की तिथि (सितम्बर 2009) तक पड़े थे, जिसके फलस्वरूप 1.76 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

सरकार समय पर बैंक ड्राफ्ट भुनाए जाने के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।

[83] यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया लेखा – 0045050028373, पंजाब नेशनल बैंक लेखा – 0380002100045221 एवं बैंक ऑफ इण्डिया लेखा – 440020100000517।

4.2.12 राजस्व वसूली प्रक्रिया

बिहार मोटर कराधान अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई कर या अर्थदण्ड जिसका भुगतान नहीं किया गया है, की वसूली बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली, अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अनुसार और भू–राजस्व के बकायों की वसूली के तरीके से की जाएगी।

बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली, अधिनियम, के अनुसार माँग पदाधिकारी को नीलामवाद की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु अपने द्वारा जारी किए गए माँग–पत्र के लिए एक पंजी IX का संधारण करना है, जबकि नीलामवाद पदाधिकारी सभी तरह से माँग–पत्रों की जाँच कर पंजी X में दर्ज करेंगे। पंजी IX को, नीलामवाद पदाधिकारी के पंजी X के साथ प्रत्येक माह मिलान करना है। जून 1991 में निर्गत अनुदेश के अनुसार नीलामवाद मामलों की वार्षिक विवरणी जिला परिवहन पदाधिकारी/माँग पदाधिकारी द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि **विभाग ने जिला परिवहन पदधिकारियों द्वारा नीलामवाद पदाधिकारियों को राजस्व के बकायों के मामले भेजने के लिए कोई समय–सीमा विहित नहीं किया है। इसके अलावे पंजी IX एवं पंजी X का समय–समय पर मिलान नहीं किया जा रहा था।** इन त्रुटियों के कारण राजस्व की बड़ी राशि की वसूली नहीं हो पाई जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

4.2.12.1 संग्रहण हेतु लम्बित बकाये

वर्ष 2003–08 के लिए प्रारम्भिक शेष, माँग का सृजन, संग्रहण एवं संग्रहण हेतु लम्बित राजस्व, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, का उल्लेख नीचे किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	कुल	निष्पादन	अन्त–शेष	निष्पादन की प्रतिशतता
	मामलों की सं0 अंतर्निहित राशि	मामलों की सं0 अंतर्निहित राशि	मामलों की सं0 अंतर्निहित राशि	मामलों की सं0 अंतर्निहित राशि	मामलों की सं0 अंतर्निहित राशि	मामले अंतर्निहित राशि
2003–04	23,897 90.72	338 1.11	24,235 91.83	602 6.08	23,633 85.75	2.48 6.62
2004–05	23,633 85.75	886 4.41	24,519 90.16	441 0.91	24,078 89.25	1.80 1.01
2005–06	24,078 89.25	3,246 25.99	27,324 115.24	4,529 18.74	22,795 96.50	16.58 16.26
2006–07	22,795 96.50	1,160 12.92	23,955 109.42	1,072 2.63	22,883 106.79	4.48 2.40
2007–08	22,883 106.79	972 8.20	23,855 114.99	548 2.43	23,307 112.56	2.30 2.11

इस प्रकार, बकाये में 24.07 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई अर्थात् 1 अप्रैल 2003 को 90.72 करोड़ रुपये से 31 मार्च 2008 को 112.56 करोड़ रुपये हो गए। प्रमाणित मामलों के निष्पादन का प्रतिशत 1.80 एवं 16.58 के बीच रहा।

4.2.12.2 नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ करना

जब माँग पदाधिकारी नीलामवाद की कार्रवाई शुरू करने के लिए माँग–पत्र जारी करते हैं और नीलामवाद पदाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि माँग पदाधिकारी को भुगतेय कोई लोक माँग बकाया है तो वे निर्धारित प्रपत्र में नीलाम–पत्र पर अपना हस्ताक्षर यह बताते हुए कर सकते हैं कि माँग बकाया है और उनके कार्यालय में नीलामवाद दायर करने योग्य है। नीलाम–पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से वसूली की तिथि तक 12 प्रतिशत के वार्षिक दर पर ब्याज आरोप्य है।

आठ जिला परिवहन कार्यालयों[84] में यह देखा गया कि 1,149 दोषी वाहन मालिकों के विरूद्ध 2000–2008 की अवधि के लिए 38.41 करोड़ रुपये के कर की राशि बकाये थे, परन्तु संबंधित माँग पदाधिकारियों ने राजस्व की वसूली के लिए नीलामवाद के मामले शुरू करने हेतु माँग–पत्र जारी नहीं किया था। इसके अलावे, नीलाम–पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि से आरोप्य ब्याज भी छूट गया।

सरकार, नीलामवाद पदाधिकारी के पास मामलों को भेजने के लिए समय–सीमा, विहित कर सकती है।

4.2.12.3 पंजी IX एवं X में विसंगतियाँ

- छः जिला परिवहन कार्यालयों[85] के पंजी IX के साथ सुसंगत अभिलेखों यथा माँग–पत्रों की संवीक्षा से पता चला कि पंजियों को आवधिक रूप से बंद नहीं किया गया था। पंजियों को माँग पदाधिकारी के पास उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत भी नहीं किया गया था। मामलों की संख्या तथा प्रारम्भिक एवं अंत शेषों की राशियों में विसंगतियों के कारण पंजी IX से निपटाए गए नीलामवाद मामलों की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- सात माँग पदाधिकारियों[86] एवं संबंधित नीलामवाद पदाधिकारियों के मामले में देखा गया कि पंजी IX के अनुसार 31 मार्च 2008 को 6,857 मामलों में अंतर्निहित 31.39 करोड़ रुपये निष्पादन हेतु लम्बित थे। इसके विरूद्ध सिर्फ 4,682 मामलों में अंतर्निहित 19.24 करोड़ रुपये ही पंजी X में दर्ज थे। इस प्रकार, 2,175 मामलों में अंतर्निहित 12.14 करोड़ रुपये दर्ज नहीं किए गए तथा जिसके लिए नीलामवाद की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। इससे पंजी IX की प्रविष्टियों का मिलान पंजी X के साथ नहीं किया जाना भी संसूचित करता है।

मामले इंगित किए जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2009) कि जिला परिवहन पदाधिकारियों को पंजी IX का उचित ढंग से संधारण करने और पंजी X के प्रविष्टियों का इसके साथ मिलान करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

विभाग इन पंजियों का मिलान प्रत्येक माह नीलामवाद पदाधिकारी के पंजियों के साथ करना सुनिश्चित कर सकता है।

4.2.13 वाहन–मालिकों के पते में त्रुटियों के कारण राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना/हानि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वाहन मालिक के पता का साक्ष्य, वाहन के निबंधन के समय होना आवश्यक है

84 बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया।
85 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा एवं गया।
86 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा एवं गया।

और पता में बाद में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना निबंधन पदाधिकारी को 30 दिनों के भीतर दिया जाना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि विभाग ने वाहन मालिकों के पते का विवरण (डाटाबेस) को अद्यतन नहीं किया था। अतः जिला परिवहन पदाधिकारियों/नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा बकाये के भुगतान में चूक के मामले में कोई नोटिस जारी नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

- छः जिला परिवहन कार्यालयों[87] एवं संबंधित नीलामवाद पदाधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 302 नीलामवाद मामलों में अन्तर्निहित 2.09 करोड़ रुपये के संबंध में माँग पदाधिकारियों द्वारा वाहन मालिकों के सही पता नहीं दिये जाने के कारण नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा नोटिस तामील नहीं हो सका।

- माँग पदाधिकारी एवं नीलामवाद पदाधिकारी, गया तथा पटना के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान देखा गया कि नीलामवाद पदाधिकारी ने 26.68 लाख रुपये से अन्तर्निहित 42 नीलामवाद मामलों को वाहन मालिकों के लापता हो जाने/अन्य कारणों से खत्म कर दिया। नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा बार–बार स्मार–पत्र दिये जाने के बावजूद, माँग पदाधिकारियों ने चूककर्त्ताओं के संबंध में उन्हे सही सूचना नहीं दी, जिसके फलस्वरूप 26.68 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

सरकार, पतों के उचित प्रलेखनों के साथ वाहनों का निबंधन करने तथा पतों का नियमित सत्यापन एवं अद्यतन किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु, सख्त उपाय विहित कर सकती है।

4.2.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण का अभिप्राय सुव्यवस्थित, दक्ष एवं प्रभावी प्रचालनों का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करना, अनियमितताओं के विरूद्ध संसाधनों का संरक्षण, कानूनों, विनियमों एवं प्रबंधन निर्देश का अनुपालन और विश्वसनीय आँकड़ों को विकसित एवं संधारित करना है। किसी विभाग के कुशल क्रिया–कलापों के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कम्प्यूटरीकृत परिवेश और मैनुअल, दोनों के लिए पहली आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं।

4.2.14.1 महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण

बिहार मोटर वाहन नियमावली के अनुसार बकायों के समयबद्ध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को प्रपत्र 'एन' में माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी का संधारण तथा आवधिक अद्यतन (प्रत्येक वर्ष मार्च एवं अक्तूबर में) करना है। प्रत्येक कराधान पदाधिकारी राज्यों में परिचालित प्रत्येक परिवहन वाहन के लिए प्रपत्र 'एम' में एक कराधान पंजी का भी संधारण करेंगे। प्रत्येक वाहन के लिए एक अलग पृष्ठ निर्धारित की जाएगी और कर के भुगतान, छूट/वापसी/कर का समायोजन, यदि कोई हो, से संबंधित प्रविष्टियाँ इस पंजी में करेंगे।

पुनः, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक निबंधन प्राधिकारी को उनके द्वारा निबंधित मोटर वाहन के निबंधन अभिलेख का संधारण प्रपत्र–24 में मोटर वाहन की स्थायी पंजी में करना होगा।

---

87 बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा एवं गया।

- **निबंधन पंजी**

चार जिला परिवहन कार्यालयों[88] में देखा गया कि निबंधन पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि वाहन मालिकों और वाहनों का ब्योरा इसमें दर्ज नहीं किया गया था, यद्यपि राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके सभी कॉलम और पंक्तियों को निश्चित रूप से भरने का अनुदेश (मार्च 1991) दिया था ।

- **कराधान पंजी**

चार जिला परिवहन कार्यालयों[89] में कराधान पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था क्योंकि विभिन्न अवधियों हेतु करों का भुगतान, छूट एवं वापसी को दर्ज नहीं किया गया था।

- **माँग, संग्रहण एवं शेष–पंजी**

दस चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में से नौ जिला परिवहन कार्यालयों[90] में माँग, संग्रहण, एवं शेष–पंजी का संधारण नहीं किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर में पंजी संधारित थी, परन्तु समय–समय पर अद्यतन नहीं किया गया था।

उपर्युक्त पंजियों में सुसंगत ब्योरों के अभाव में विभाग चूककर्त्ता वाहन मालिकों का पता लगाने और बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई करने में असहाय था।

4.2.14.2 विभागीय मैनुअल का अभाव

विभाग के विभिन्न स्कंधों के उचित क्रिया–कलापों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का विभागीय मैनुअल बनाया जाना आवश्यक है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग में ऐसा कोई मैनुअल नहीं था। विभाग में मैनुअल के अभाव में उच्च प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित नियंत्रण एवं इसके प्रभावोत्पादक प्रयास नहीं किए जा सके।

4.2.14.3 रिपोर्टिंग प्रणाली

वाहनों के निबंधन, राजस्व का संग्रहण, नीलामवाद मामले इत्यादि जैसे रिपोर्ट/रिटर्न, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाना अपेक्षित है। संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में यद्यपि रिपोर्ट/रिटर्न प्राप्त किए जा रहे थे, **परन्तु इन आँकड़ों का संकलन एवं जिला परिवहन कार्यालयों के साथ आवधिक अन्तराल पर सूचना का मिलान नहीं किया गया था।** इसके फलस्वरूप निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं।

- वर्ष 2004–08 के दौरान वाहनों के निबंधन संबंधी राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दी गई विवरणियों के साथ आठ जिला परिवहन कार्यालयों[91] द्वारा दी गई विवरणियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई विवरणी में 60,214 वाहनों का निबंधन कम दर्शाया गया था।

---

88 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया।

89 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया।

90 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया।

91 बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, पटना एवं पूर्णिया।

- पाँच वर्षों (2003–08) के दौरान राजस्व–लक्ष्य एवं उसके संग्रहण के आँकड़ों, जैसा कि नमूना जाँचित 10 जिला परिवहन कार्यालयों[92] और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा आँकड़े उपलब्ध कराये गये थे, में क्रमशः 343.81 करोड़ रुपये एवं 27.46 करोड़ रुपये की विसंगति थी।

- पुनः यह देखा गया कि राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को दिये गए राजस्व के प्रमाणित बकाये के आँकड़े भी आठ जिला परिवहन कार्यालयों[93] द्वारा दिये गए आँकड़ों से भिन्न थे। इसमें 31 मार्च 2008 को 1,805 मामलों में अंतर्निहित 3.11 करोड़ रुपये की विसंगति थीं।

- पुनः, जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में देखा गया कि वर्ष 2006–07 के दौरान पंजी IX में दर्ज 41 मामलों में अंतर्निहित 1.23 करोड़ रुपये के विरूद्ध सिर्फ 12 नीलामवाद मामलों में अंतर्निहित 48.18 लाख रुपये ही वार्षिक विवरणी में दर्शाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 29 नीलामवाद मामलों में 74.36 लाख रुपये की राशि की विसंगति थी।

उपर्युक्त विसंगतियाँ उच्च प्राधिकारियों के पास उपलब्ध विश्वसनीय आँकड़ों/सूचनाओं को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण की कमी को भी संसूचित करता है।

विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से आँकड़ों का आवधिक मिलान करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया विहित कर सकती है।

4.2.14.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रबंधन की 'आँख' एवं 'कान' की तरह कार्य करता है और प्रणाली के दक्षता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है। यह संगठन/विभाग के क्रियाकलापों के दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित होने का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी करता है।

वित्त विभाग का लेखापरीक्षा स्कंध, वित्त विभाग के मई 1960 के आदेशानुसार, परिवहन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में कार्य करता है। हालांकि, वर्ष 2003–08 के दौरान नमूना जाँचित कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा कभी नहीं करायी गयी थी।

इससे यह संसूचित होता है कि विभाग के पास प्रणाली के त्रुटिपूर्ण कार्य–क्षेत्रों का पता लगाने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के अवसर प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था।

सरकार नियमित अंतराल पर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित कर सकती है ताकि अनियमितताओं/चूकों का समय पर पता लगाया जाए और उन्हें दूर किया जाए।

अनुपालन त्रुटियाँ

4.2.15 ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लाइसेंस देनेवाले प्राधिकारी, ड्राईविंग लाइसेंस उसी आवेदक को देंगे जो

92 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया।
93 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया एवं मुजफ्फरपुर।

कम–से–कम 18 वर्ष की उम्र का हो (पेशेवर ड्राईविंग लाइसेंस हेतु 20 वर्ष), जो सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण हो गया हो और जिसके पास न्यूनतम तीस दिनों का लर्नर्स लाइसेंस हो। ड्राईविंग लाइसेंस 20 वर्षों तक अथवा आवेदक का उम्र 50 वर्ष, जो इसमें पहले हो, तक की अवधि के लिए वैध है और पेशेवर ड्राईविंग लाइसेंस तीन वर्षों के लिए वैध है। पुनः, किसी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने का लर्नर्स लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम–से–कम एक वर्ष के लिए हल्का मोटर वाहन चलाने का ड्राईविंग लाइसेंस न हो। जनवरी 2001 में विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण होने के बाद तीन दिनों के भीतर ड्राईविंग लाइसेंस प्रदान करना है।

4.2.15.1 अभिलेखों की संवीक्षा से अधिनियम/नियमो एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईं:

क्रम सं0	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	सम्मिलित ड्राईविंग लाइसेंस की सं0	अवधि	अभ्युक्ति
1.	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	697	अक्तूबर 2007 से दिसम्बर 2007	जाँचे गए 1,035 मामलों में से 338 ड्राईविंग लाइसेंस तीन दिनों के भीतर जारी किए गए थे जबकि शेष 697 मामले (64.34 प्रतिशत) 326 दिनों तक के विलम्ब से जारी किए थे।
2.	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	63	फरवरी 2007 से मार्च 2008	पेशेवर ड्राईविंग लाइसेंस उन व्यक्तियों को प्रदान किए गए जो 20 वर्ष की उम्र से कम थे।
3.	बेगूसराय एवं पूर्णिया	60	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2007	ड्राईविंग लाइसेंस 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिये गए।
4.	बेगूसराय	27	नवम्बर 2007	ड्राईविंग लाइसेंस उन व्यक्तियों को सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण होने से पहले दिये गए।
5.	बेगूसराय	29	नवम्बर 2007	ड्राईविंग लाइसेंस उन व्यक्तियों को दिये गए, जो सक्षमता जाँच में उत्तीर्ण नहीं थे।
6.	मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया	13	नवम्बर 2007 से दिसम्बर 2007	आवेदकों को लर्नर्स लाइसेंस देने के बाद 30 दिनों की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पहले सक्षमता जाँच में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।

4.2.15.2 व्यावसायिक ड्राईविंग लाइसेंस अनियमित रूप से देने के कारण राजस्व की हानि

छः जिला परिवहन कार्यालयों[94] में यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 2003–08 के दौरान 35,946 व्यावसायिक ड्राईविंग लाइसेंस उन आवेदकों को दिया था जिनके पास हल्का मोटर वाहनों को चलाने का लाइसेंस नहीं था। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त 75.49 लाख रुपये[95] के राजस्व की हानि भी हुई।

विहित प्रक्रिया का पालन किए बगैर तथा अयोग्य व्यक्तियों को ड्राईविंग लाइसेंस दिया जाना, लोगों के जान–माल की क्षति के जोखिम से भरा था।

सरकार, ड्राईविंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक पालन किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, उचित कदम उठा सकती है।

94 बेगूसराय, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया।

95 लर्नर्स लाइसेंस और व्यावसायिक ड्राईविंग लाइसेंस देने का फीस 210 रुपया (70 रु0 + 140 रु0) है। 210 रु0 की दर से X 35,946 वाहनों पर हानि = 75,48,660 रुपये।

4.2.16 अनापत्ति/योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बगैर नये निबंधन संख्या का आवंटन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी अनुदेशों (जुलाई 1991 एवं सितम्बर 1996) के अंतर्गत जब किसी दूसरे राज्य का मोटर वाहन इस राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखे जाने का इरादा हो, तो वाहन मालिक को पूर्व के निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ नए निबंधन संख्या के आवंटन हेतु आवेदन देना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी जाँच करने और मोटर वाहन के पंजी में ब्योरे, अर्थात् पूर्व के निबंधन प्राधिकारी का नाम, वाहन जाँचकर्त्ता का नाम और पदनाम दर्ज करने के बाद नया निबंधन संख्या आवंटित कर, वाहन मालिक को निबंधन प्रमाण–पत्र वापस कर देंगे।

दो जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय एवं शेखपुरा के 'ऐट प्रजेण्ट' रजिस्टर[96] (वर्तमान पता पंजी) एवं तत्संबंधी निबंधन पंजियों के साथ अन्य सुसंगत अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दूसरे राज्यों के 105 वाहनों का वर्त्तमान पता दर्ज किया गया था और नया निबंधन संख्या बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सत्यापन और पूर्व के निबंधन प्राधिकारियों के नाम का उल्लेख किए बगैर ही आवंटित किए गए थे। नया निबंधन संख्या आवंटित करते समय मोटर वाहन निरीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहनों का निरीक्षण तथा वर्त्तमान पता पंजी या निबंधन पंजी में इंजन/चेसिस के निशान को साटा जाना, जैसे आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया था। उपर्युक्त बातों की अनदेखी करने से चोरी के वाहनों को नया निबंधन संख्या आवंटित हो सकता था क्योंकि निबंधन प्रमाण–पत्र, आवंटन के एक सप्ताह के अंदर बदल दिये गए थे।

4.2.17 निजी वाहनों के निबंधन का नवीकरण

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवहन वाहनों के अलावे वाहनों के लिए निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र, इसके निर्गमन की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और इसका नवीकरण अगले पाँच वर्षों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर किया जाएगा। यदि वाहन मालिक निबंधन प्रमाण–पत्र की अवधि की समाप्ति तक इसके नवीकरण हेतु आवेदन देने में विफल रहते हैं, तब उपरोक्त अधिनियम की धारा 192 के तहत न्यूनतम 2,000 रुपये जुर्माना आरोप्य है। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने पुनः कहा (जून 1991) कि ऐसे वाहनों का निबंधन समय पर हो जाना चाहिए।

19 जिला परिवहन कार्यालयों[97] में परिवहन वाहनों के अलावे 1,601 वाहनों का निबंधन प्रमाण–पत्र, जो जनवरी 2006 एवं मार्च 2008 के बीच कालातीत हो गए थे, 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद भी नवीकृत नहीं किए गए थे। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ज्ञात होता कि इन वाहनों का स्थानांतरण दूसरे क्षेत्रों/राज्यों में हो चुका है। निबंधन पंजी की समीक्षा नहीं किए जाने के कारण, जैसा कि ऊपर इंगित किया है, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी निबंधन के समापन की तिथि का पता नहीं लगा सके और साथ–साथ इन वाहनों के निबंधन को नवीकृत कराने की कोई कार्रवाई, राज्य परिवहन आयुक्त के जून 1991 के कार्यपालक अनुदेश के बावजूद भी नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप 32.02 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 35.57 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

---

96 अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों के लिए रजिस्टर।

97 बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णियाँ (समीक्षा); अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

4.2.18 अभ्यर्पण में अंतर्ग्रस्त वाहनों पर कर

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के तहत जब कोई मोटर वाहन मालिक, एक माह से अधिक तथा एक बार में अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करने का इरादा रखता हो, तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किए जाने वाली अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर के भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते की छूट का दावा प्रलेखों को अभ्यर्पण कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को ऐसे मामलों में महीने में कम–से–कम एक बार वाहन के पार्किंग–स्थल का औचक भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण ज्ञापन को दर्ज करना है। यदि वचन–पत्र में उल्लेखित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन–पत्र में उल्लेखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त सम्पूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किए, उपयोग में लाया गया माना जाएगा। तदनुसार ऐसे मामलों में अर्थदण्ड सहित कर आरोपित करना है।

10 जिला परिवहन कार्यालयों[98] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि अक्तूबर 2002 एवं अक्तूबर 2007 के बीच अभ्यर्पित 106 वाहनों को 17 एवं 60 महीनों तक के लिए आरम्भिक अभ्यर्पण/अवधि–विस्तार अनियमित रूप से किया गया था। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 2.53 करोड़ रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	वाहनों की सं0	कर गणना की अवधि	अनियमितताएँ	कर–प्रभाव
1.	मुजफ्फरपुर	30	01 जुलाई 2003 से 30 जून 2008	स्मार–पत्र के बावजूद मामले के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अभ्यर्पण पंजी के अनुसार ये वाहन अब तक अभ्यर्पण में थे। पुनः 30 वाहनों में से 29 मामले में अद्यतन कर के भुगतान के बगैर अनियमित रूप से अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था।	136.77
2.	आठ जिला परिवहन[99]	52	01 अप्रैल 2003 से 30 जून 2008	बिना नए वचन–पत्र प्राप्त किए प्रारम्भिक अभ्यर्पण अवधि के समापन के बाद अभ्यर्पण अवधि का विस्तार 17 से 60 महीनों के बीच किया गया था।	49.52
3.	चार जिला परिवहन[100]	14	– तथैव –	अद्यतन कर की वसूली किए बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण स्वीकार किए गए थे। बिना नए वचन–पत्र प्राप्त किए अभ्यर्पण अवधि का विस्तार भी 24 से 60 महीनों के बीच किया गया था।	48.83
4.	बेगूसराय एवं पटना	7	01 फरवरी 2005 से 30 जून 2008	फरवरी एवं अक्तूबर 2006 के बीच इन वाहनों का अभ्यर्पण अस्वीकृत/रद्द किए गए थे परन्तु करारोपण एवं संग्रहण नहीं किया गया था।	11.68
5.	मुजफ्फरपुर एवं पटना	3	01 जुलाई 2003 से 30 जून 2008	बिना निबंधन प्रमाण–पत्र के आरम्भिक अभ्यर्पण को अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था। पुनः बिना नए वचन–पत्र प्राप्त किए प्रारम्भिक अभ्यर्पण अवधि के समापन के बाद अभ्यर्पण अवधि का विस्तार 17 से 60 महीनों के बीच किया गया था।	6.49
	योग	**106**			**253.29**

98 बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा); मोतिहारी, समस्तीपुर एवं सीवान (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

99 भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना (समीक्षा); मोतिहारी, समस्तीपुर एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

100 गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया।

4.2.19 बसों से कर की कम वसूली

समय–समय पर यथा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान वार्षिक, तिमाही या मासिक अवधि के लिए वर्ष, तिमाही अथवा माह, जैसी भी स्थिति हो, के आरम्भ होने के 15 दिनों के अंदर देय है। पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार '205 इंच व्हील आधार बस' का कर, इस अधिनियम के अंतर्गत देय सभी प्रकार के छूट देने के पश्चात्, तीन माह में तय की गई दूरी के आधार पर देय है। समय पर कर का भुगतान नहीं करने पर अर्थदण्ड देना होगा।

पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[101] में '205 इंच व्हील आधार बस' के मालिकों से वसूले गए करों और राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना एवं अन्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा जारी परमिटों के साथ तिर्यक जाँच से पता चला कि 19 बसों को जिला परिवहन पदाधिकारियों ने राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा जारी परमिट में प्राधिकृत तय की गई दूरी का ब्योरा प्राप्त किए बगैर टैक्स–टोकन जारी कर दिया था जिसके फलस्वरूप 47.89 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई।

4.2.20 स्वामित्व का हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण–पत्र का निर्गमन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक अनुदेशों, अद्यतन सितम्बर 1996 में निर्गत अनुदेश, के अनुसार विभागीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिक ने स्वामित्व के हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण–पत्र के निर्गमन अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिए निर्धारित शुल्क एवं अन्य प्रलेखों के साथ–साथ चालू टैक्स–टोकन अथवा एक मुश्त टैक्स–टोकन को अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है।

जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं पटना के निबंधन पंजियों के साथ अन्य संबंधित अभिलेखों की तिर्यक जाँच में पाया गया कि 30 वाहनों को स्वामित्व के हस्तांतरण/द्वितीयक निबंधन प्रमाण–पत्र के निर्गमन आदि की अनुमति, अद्यतन कर के भुगतान को सुनिश्चित किए बगैर दी गई थी। इस चूक से न केवल अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ बल्कि अप्रैल 2003 एवं मार्च 2008 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 1.31 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली भी नहीं हुई।

4.2.21 एक–मुश्त कर की वसूली

4.2.21.1 निजी वाहनों से कर की कम वसूली

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा जून 2007 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार ओमनी बस श्रेणी के वाहन (6 से 12 बैठने की क्षमता वाले), जिनका निबंधन वैयक्तिक वाहन के रूप में किया गया था, के मूल्य का तीन प्रतिशत (वैट छोड़कर) की दर से एक–मुश्त कर, वाहन के निबंधन के समय देय होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में निबंधन पंजी से यह देखा गया कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने ओमनी बस श्रेणी के 199 वाहनों को

[101] बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

निजी वाहन के रूप में निबंधित किया और उपर्युक्त अधिनियम एवं कार्यपालक आदेश का उल्लंघन कर वाहन के मूल्य के तीन प्रतिशत की दर से एक–मुश्त कर के बदले वार्षिक कर की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप 28.18 लाख रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

4.2.21.2 कृषि संबंधी ट्रैक्टर/ट्रेलर मालिकों से कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषि कार्य में व्यवहृत ट्रैक्टर और ट्रेलर को एक साथ जोड़कर 25 अश्व–शक्ति क्षमता के ट्रैक्टर एवं अधिकतम तीन टन तक की क्षमता वाले ट्रेलर के लिए प्रत्येक ट्रैक्टर–ट्रेलर 3,000 रुपये की दर से एक मुश्त कर लिया जाएगा। 25 अश्व–शक्ति से अधिक क्षमता के ट्रैक्टर एवं पाँच टन तक अधिकतम क्षमता के ट्रेलर के लिए दर 5,000 रुपया प्रति ट्रैक्टर–ट्रेलर होगा

जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णिया के निबंधन पंजी की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 25 अश्व–शक्ति से अधिक क्षमता वाले 42 ट्रेलर का निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर के साथ जोड़े बगैर किया गया था। इन मामलों में उन्हें कृषि प्रयोजन हेतु मानकर प्रति ट्रेलर 2,500 रुपये का एक–मुश्त कर लिया गया था। चूँकि ट्रेलर को ट्रैक्टर अथवा किसी अन्य वाहन के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अतः यह स्पष्ट है कि ट्रेलर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हुआ। इस प्रकार, ट्रेलर का वाणिज्यिक प्रयोजन, जिसके लिए उच्च कर दर लागू है, के बदले में कृषि कार्य हेतु निबंधन अनियमित था, जिसके फलस्वरूप 14.06 लाख रुपये[102] के राजस्व की कम वसूली हुई।

4.2.22 परमिट का निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकार उन वाहनों के परमिट के आवेदनों को अस्वीकृत कर सकता है जिनका कर बकाया है। पुनः, निर्धारित अवधि की समापन की तिथि से कर भुगतान की वास्तविक तिथि तक परमिट रद्द माना जाएगा। परमिट के निर्गमन/नवीकरण के पूर्व कर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने भी सितम्बर 1991 में अनुदेश निर्गत किया था।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अस्थायी एवं स्थायी परमिट पंजियों की नमूना जाँच के क्रम में यह देखा गया कि 14 अस्थायी/स्थायी परमिट नौ वाहन मालिकों को निर्गत किए गए थे, जिन्होंने अपने वाहनों पर बकाये कर का भुगतान नहीं किया था। इस चूक के फलस्वरूप जुलाई 2003 से जून 2008 की अवधि के लिए संगणित अर्थदण्ड सहित 43.36 लाख रुपये के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अलावे अवैध परमिट पर वाहनों को चलाए जाने की अनुमति दी गई। यह संसूचित करता है कि राज्य परिवहन प्राधिकार कार्यालय ने वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित नहीं किया।

इसे इंगित किए जाने के बाद संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, पटना ने बताया कि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों से कर भुगतान की स्थिति का पता लगाया जा रहा था। उत्तर, अद्यतन कर भुगतान अभिनिश्चित किए बिना परमिट निर्गत किए जाने की पुष्टि करता है। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2010)।

102 2,398 रुपये वार्षिक की दर से 15 वर्षों के लिए X 42 वाणिज्यिक ट्रेलर = 15,10,740 रुपये घटाव 1,05,000 रुपये (2,500 रुपये की दर से 42 ट्रेलरों से पूर्व में वसूला गया कर) = 14,05,740 रुपये।

4.2.23 सवारी वाहनों को माल वाहक वाहनों में परिवर्तित किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोई मोटर वाहन मालिक राज्य सरकार के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत किए बगैर निबंधन प्रमाण–पत्र में अंकित वाहन के उपयोग को परिवर्तित नहीं करेंगे।

जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर, पटना एवं सिवान के निबंधन पंजी एवं अन्य संबंधित अभिलेखों से यह पाया गया कि अप्रैल 2003 से अक्तूबर 2007 की अवधि के दौरान अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर मोटर वाहन निरीक्षक की अनुशंसा पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा 18 सवारी वाहनों को माल वाहक वाहनों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। इस चूक के फलस्वरूप न केवल अधिनियम और नियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि कर के रूप में 9.25 लाख रुपये के राजस्व की हानि भी हुई।

4.2.24 व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में उसके अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर, एक व्यवसायी अथवा विनिर्माता के रूप में, विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना होगा। देय–तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने पर देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड देय है।

11 जिला परिवहन कार्यालयों[103] में यह पाया गया कि 41 मोटर वाहन व्यवसायियों ने 2003–08 के बीच की अवधि के दौरान अपने अधिकार में रखे गए 1,17,557 वाहनों (59,270 दोपहिया एवं 58,287 तीन/चार पहियों वाले) का व्यापार कर या तो निर्धारित दर पर जमा नहीं किया था या कम जमा किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी व्यवसायियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित 1.19 करोड़ रुपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

4.2.25 रोकड़ प्रबंधन

बिहार वित्तीय नियमावली भाग–I के साथ पठित बिहार कोषागार संहिता भाग–I के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों द्वारा प्राप्त अथवा उनको भुगतान किए गए सभी धन (जुर्माना सहित) सरकारी खाते में अविलम्ब भुगतान किए जाएंगें। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों, अद्यतन जनवरी एवं मार्च 2002 में, के अनुसार पूर्व में निर्गत मनी रसीदों की अधकट्टी (काउंटर फायल) को, नए सादे मनी रसीद पुस्त को निर्गत होने से पहले राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय में लौटाना है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मनी रसीद के उपयोग एवं संग्रहित राशि के जमा किए जाने को भी राजस्व संग्रहण पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना था तथा राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदित करना था।

4.2.25.1 बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा दिसम्बर 2001, सितम्बर 2002 एवं अप्रैल 2006 में निर्गत अनुदेशों के अनुसार विभागीय प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि संग्रहित शुल्क एवं कर को अगले माह के प्रथम सप्ताह तक कोषागार में जमा कर दिया गया है और मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तांतरित कर दिया गया है।

---

103 बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णिया (समीक्षा); गोपालगंज एवं वैशाली (अनुपालन लेखापरीक्षा)।